RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितम्बर
24
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

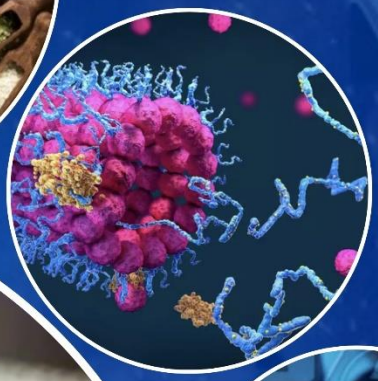

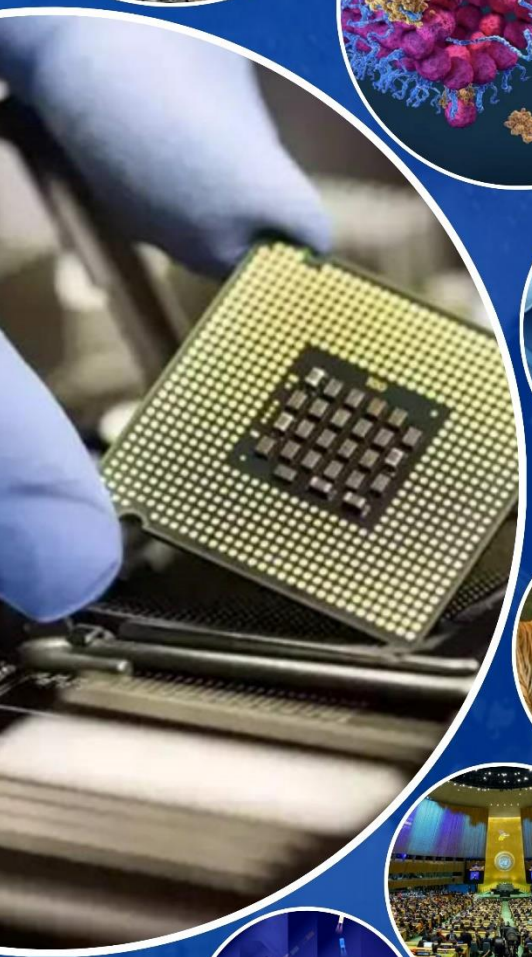

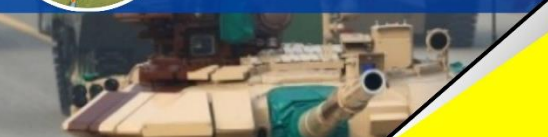

By Ankit Avasthi Sir

संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने "भविष्य के लिए समझौता" को सर्वसम्मति से अपनाया

संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं ने एक ऐतिहासिक घोषणापत्र **"भविष्य के लिए समझौता"** को सर्वसम्मति से अपनाया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए **अधिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, टिकाऊ और समावेशी दुनिया** का निर्माण करना है। यह समझौता और इसके साथ जुड़े अनुलग्नक जैसे कि **ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट** और **भावी पीढ़ियों पर घोषणापत्र**, संयुक्त राष्ट्र के **193 सदस्य देशों** द्वारा अनुमोदित किए गए। हालांकि, कुछ देशों जैसे **रूस, ईरान, डीपीआरके और सीरिया** ने संशोधन प्रस्तावित किए थे, लेकिन इन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

समझौते के मुख्य बिंदु:

1. **सतत विकास: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और जलवायु परिवर्तन** पर पेरिस समझौते को गति देना।
2. **अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा:** संघर्षों के मूल कारणों का समाधान कर **शांतिपूर्ण समाजों** का निर्माण।
3. **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** का अंतर्राष्ट्रीय विनियमन।
4. **युवा और भावी पीढ़ियां:** युवाओं को राष्ट्रीय और **वैश्विक निर्णय** लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना।
5. **वैश्विक शासन में सुधार:** संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थानों को 21वीं सदी की समस्याओं के **समाधान** के लिए सशक्त बनाना।

ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट:

यह समझौता **कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्राष्ट्रीय विनियमन** पर केंद्रित है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि **डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ** सतत विकास और मानव अधिकारों के लिए लाभकारी हों। इसमें **डिजिटल विभाजन को पाटने, साइबर सुरक्षा बढ़ाने और AI** का जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है।

भावी पीढ़ियों पर घोषणापत्र:

इस घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य भावी पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करना और उनके हितों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना है। इसमें **पर्यावरण संरक्षण, अंतर-पीढ़ीगत समानता** और आज की कार्रवाई के दीर्घकालिक परिणामों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष: इस ऐतिहासिक समझौते ने वैश्विक नेताओं को एकजुट कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समृद्ध और सुरक्षित दुनिया का संकल्प लिया है।

संयुक्त राष्ट्र (United Nations - UN)

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना **1945** में हुई थी और वर्तमान में इसमें **193** सदस्य राष्ट्र शामिल हैं। इसका मिशन एवं कार्य इसके **चार्टर** में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, जिसे विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

मुख्य कार्य:

संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना**
- **मानवाधिकारों की रक्षा करना**
- **मानवीय सहायता पहुँचाना**
- **सतत विकास को बढ़ावा देना**
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून का कार्यान्वयन करना**

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास:

- ☑ यह सम्मेलन **हेग** (**Hague**) में आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य विवादों और संकटों को शांति से निपटाने, युद्धों को रोकने, और युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करना था।
- ☑ सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के **शांतिप्रद** निपटान के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया।
- ☑ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वर्ष **1919** में वर्साय की संधि के तहत स्थापित किया गया।
- ☑ इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और **शांति एवं सुरक्षा** प्राप्त करना था।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग:

संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं:

1. **संयुक्त राष्ट्र महासभा**
2. **सुरक्षा परिषद**
3. **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद**
4. **संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद**
5. **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय**
6. **संयुक्त राष्ट्र सचिवालय**

इन सभी अंगों की **स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र** की स्थापना के समय की गई थी।

वन्यजीव आवासों के संपूर्ण विकास (IDWH) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना

मंत्रिमंडल ने **15वें वित्त आयोग** अवधि के लिए **वन्यजीव** आवासों के संपूर्ण विकास की केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है, जिसका **कुल व्यय 2602.98 करोड़** रुपये निर्धारित किया गया है। यह योजना **प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट और अन्य वन्यजीव आवासों** के विकास को समाहित करती है।

योजना के प्रमुख घटक:

- ✓ **प्रौद्योगिकी पहलों का उपयोग:** योजना में **बाघों और अन्य वन्यजीवों** के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी पहलों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।
- ✓ **M-STRIPES एप्लिकेशन:** प्रोजेक्ट टाइगर में **मोबाइल एप्लिकेशन M-STRIPES** का उपयोग किया जाता है, जो बाघों और उनके आवासों की निगरानी के लिए है।
- ✓ **कैमरा ट्रैप और AI का उपयोग:** अखिल भारतीय बाघ अनुमान में बाघों के आवासों **में कैमरा ट्रैप** की तैनाती और प्रजातियों की पहचान के लिए AI का उपयोग किया गया है।

प्रोजेक्ट टाइगर और चीता:

- ✓ **प्रोजेक्ट चीता का समर्थन:** योजना में **प्रोजेक्ट चीता** का समर्थन भी शामिल है, जिसमें **चीता आवास** के क्षेत्रों का विस्तार और **निगरानी प्रोटोकॉल** को मजबूत किया जाएगा।

अन्य प्रोजेक्ट्स:

- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:** डॉल्फिन की गणना और आवास की निगरानी के लिए **रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROVs)** का उपयोग किया जाएगा।
- **प्रोजेक्ट लॉयन:** **"लॉयन @ 2047: अमृत काल के लिए विज़न"** दस्तावेज़ के अंतर्गत प्रोजेक्ट लॉयन को मजबूत किया जाएगा।
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट:** **मानव-हाथी टकराव** को कम करने के लिए **सूचना और संचार प्रौद्योगिकी** का उपयोग किया जाएगा।

लाभ और सृजन:

इस योजना के तहत:

- ☑ **संरक्षित क्षेत्र:** **55 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य और 718 संरक्षित क्षेत्र** लाभान्वित होंगे।
- ☑ **जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा:** ये क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करेंगे और जल सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- ☑ **मानव दिवसों की सृजन:** योजना के तहत **50 लाख से अधिक मानव दिवसों** की आजीविका सृजन होगी, जिससे इको-टूरिज्म और सहायक गतिविधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा।

निष्कर्ष: यह केंद्र प्रायोजित योजना **बाघ और अन्य वन्यजीवों** के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुन: पुष्टि करती है, जिससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण का संतुलित विकास सुनिश्चित होता है।

Integrated Development of Wildlife Habitats (IDWH)

IDWH एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे भारत के **पर्यावरण मंत्रालय** द्वारा **वन्यजीव आवास** के विकास के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों के **संरक्षण और उनके आवासों के विकास** को सुनिश्चित करना है।

IDWH के घटक:

- ✓ **संरक्षित क्षेत्रों का समर्थन:** **राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व** को समर्थन प्रदान करना।
- ✓ **संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीवों का संरक्षण:** वन्यजीवों के लिए उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है।
- ✓ **पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों को बचाने के लिए विशेष पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम चलाना। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत **22 प्रजातियों** की पहचान की जा चुकी है।

IDWH के अंतर्गत उप-योजनाएं:

- ☑ **प्रोजेक्ट टाइगर (1973):** यह योजना देश के **5 परिदृश्यों में फैले 18 बाघ रेंज राज्यों के कुल 55 बाघ** अभयारण्यों को लाभान्वित करती है। यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता का भी समर्थन करती है।
- ☑ **वन्यजीव आवासों का विकास:** **प्रोजेक्ट डॉल्फिन** और **प्रोजेक्ट लायन** को इस उप-योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है।
- ☑ **प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992):** हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना। मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना और बंदी हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना। **इसे 22 हाथी बहुल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों** में क्रियान्वित किया जा रहा है।

भारत और अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया

भारत और अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत में एक **मल्टी-मटेरियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (फैब)** स्थापित किया जाएगा। यह भारत का पहला फैब होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दुनिया में अपनी तरह का पहला परियोजना है। इसके साथ ही, यह क्वाड **(भारत, अमेरिका, जापान, और ऑस्ट्रेलिया)** के भीतर भी पहला फैब है। इस फैब का नाम शक्ति रखा गया हैं।

"शक्ति" फैब की विशेषताएँ:

- ✓ **फोकस क्षेत्र:** यह फैब आधुनिक युद्ध के तीन आवश्यक स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
  - **उन्नत संवेदन (Advanced Sensing)**
  - **उन्नत संचार (Advanced Communication)**
  - **उच्च वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स (High Voltage Power Electronics)**
- ✓ **प्रौद्योगिकियाँ:** इसे **इन्फ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड, और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर** के निर्माण के लिए स्थापित किया जाएगा।
- ✓ **साझेदारी:** यह फैब भारत सेमीकंडक्टर मिशन के समर्थन के साथ स्थापित होगा और इसमें **भारत सेमी, थर्डटेक, और अमेरिकी स्पेस फोर्स** के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी शामिल होगी।

फैब का महत्व:

- ☑ **रणनीतिक बदलाव:** यह परियोजना भारत को चिप लेने वाले से चिप निर्माता में बदल देगी, जिससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत को **वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला** और **हिंद-प्रशांत क्षेत्र** में एक प्रमुख खिलाड़ी बना देगी।
- ☑ **आयात पर निर्भरता कम करना:** वर्तमान में, भारत राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रतिवर्ष **1 बिलियन डॉलर मूल्य** के सेमीकंडक्टर का आयात करता है। इस फैब की स्थापना से **आयात में कमी** आएगी।
- ☑ **सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** यह फैब **दूरसंचार, रेलवे, और हरित ऊर्जा** जैसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।
- ☑ **अनुसंधान और विकास में सहयोग:** यह चिप निर्माण में अनुसंधान एवं विकास के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देगा, जैसे कि **ग्लोबलफाउंड्रीज (जीएफ)** द्वारा कोलकाता में पावर सेंटर का निर्माण।

निष्कर्ष: भारत और अमेरिका के बीच यह **सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन** प्लांट स्थापित करने का समझौता न केवल दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी को मजबूत करेगा, बल्कि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह परियोजना भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने वर्ष 2021 में **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)** को कुल **76,000 करोड़ रुपए** के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया। यह कार्यक्रम भारत में स्थायी **अर्द्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी** तंत्र के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- ☑ ISM का मुख्य उद्देश्य अर्द्धचालक और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग तथा डिज़ाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को **वित्तीय सहायता** प्रदान करना है।
- ☑ इस पहल के माध्यम से, भारत को **सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उद्योग** में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने का लक्ष्य है।

नोडल एजेंसी की भूमिका: ISM योजना के कुशल, सुसंगत, और सुचारु कार्यान्वयन के लिए, यह कार्यक्रम **वैश्विक विशेषज्ञों** के नेतृत्व में कार्य करेगा। इसके तहत नोडल एजेंसी का गठन किया जाएगा, जो अर्द्धचालक और डिस्प्ले उद्योग में निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक कार्यों का समन्वय करेगी।

SPICED योजना

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मसाला बोर्ड की एक नई योजना, **'निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता' (SPICED)** को मंजूरी दी है। यह योजना भारतीय मसाला उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है।

1. योजना का उद्देश्य:

SPICED योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- ✓ **निर्यात में वृद्धि: मसालों** और **मूल्य-संवर्धित** मसाला उत्पादों के निर्यात को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना।
- ✓ **इलायची की उत्पादकता में सुधार:** भारत भर में इलायची की उत्पादकता में सुधार करना।
- ✓ **कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार:** मसालों की कटाई के बाद की गुणवत्ता को उन्नत करना।

2. कार्यान्वयन की अवधि:

- ✓ इस योजना का कार्यान्वयन **15वें वित्त आयोग** की शेष अवधि, **2025-26** तक किया जाएगा।

3. योजना की मुख्य विशेषताएं:

- ☑ **मूल्य संवर्धन को बढ़ावा:** योजना मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करती है, जिसमें **मिशन मूल्य संवर्धन, मिशन स्वच्छ और सुरक्षित मसाले,** और **जीआई मसालों** को बढ़ावा देने वाले नए उप-घटकों/कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा।
- ☑ **उद्यमिता का समर्थन:** मसाला **इनक्यूबेशन** केंद्रों के माध्यम से उद्यमिता को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
- ☑ **समुदायों पर ध्यान:** योजना **ओडीओपी और डीईएच** के अंतर्गत चिन्हित किसान समूहों, **एससी/एसटी समुदाय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यातकों और छोटे एवं मध्यम उद्यमों (SMEs)** पर जोर देती है।

4. पात्रता और प्राथमिकता:

- ☑ **पात्रता:** मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण के **वैध प्रमाण-पत्र (CREES)** वाले निर्यातक इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।
- ☑ **प्राथमिकता:** पहली बार आवेदन करने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5. विशेष घटक:

- ☑ **किसान समूहों का सशक्तीकरण:** कार्यक्रम विशेष रूप से प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में **किसान उत्पादक संगठनों (FPO), किसान उत्पादक कंपनियों (FPC),** और **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- ☑ **कटाई के बाद सुधार:** इन समूहों को मसालों की कटाई के बाद सुधार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी और खाद्य सुरक्षा तथा गुणवत्ता मानकों के अनुपालन में सहायता प्रदान की जाएगी।

6. पारदर्शिता और निगरानी:

- ✓ योजना की गतिविधियों को **जियो-टैग** किया जाएगा और बेहतर पारदर्शिता के लिए सभी संबंधित जानकारियाँ, जैसे कि निधि की उपलब्धता, आवेदनों की स्थिति, और लाभार्थियों की सूची, मसाला बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, जिसे **26 फरवरी 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986** (1986 का 10) के तहत स्थापित किया गया था। इसका गठन वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पूर्ववर्ती **इलायची बोर्ड** और **मसाला निर्यात संवर्धन परिषद** को मिलाकर किया गया है।

उद्देश्य और जिम्मेदारियाँ:

- **इलायची उद्योग का विकास:** बोर्ड छोटी और बड़ी इलायची के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है।
- **मसालों का निर्यात संवर्धन:** यह बोर्ड **मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986** की अनुसूची में सूचीबद्ध **52 मसालों** के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

प्रमुख कार्य:

- **विकास और विनियमन:** मसालों के विकास, विनियमन और निर्यात के लिए उपाय करना।
- **गुणवत्ता नियंत्रण:** निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना।
- **शोध गतिविधियाँ:** भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान के तहत **छोटी और बड़ी इलायची** पर शोध गतिविधियाँ करना।

कृत्रिम एंजाइमों का विकास: नैनोजाइम्स की भूमिका

सीएसआईआर-केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएलआरआई), चेन्नई के शोधकर्ताओं ने नैनोजाइम्स (एंजाइम की तरह कार्य करने वाले नैनोमैटेरियल) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उनके द्वारा किए गए दो अध्ययन हाल ही में **केमिकल साइंस** में प्रकाशित हुए हैं, जो कृत्रिम एंजाइमों के विकास में नए दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं।

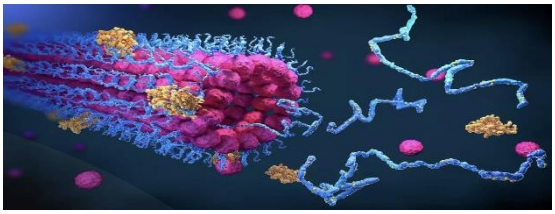

नैनोजाइम क्या हैं?

नैनोजाइम वे कृत्रिम एंजाइम होते हैं जो एंजाइमों में निहित उत्प्रेरक कार्यों की नकल करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि **धातु आधारित, धातु ऑक्साइड आधारित, या कार्बन** आधारित।

एंजाइम क्या हैं?

एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में **रासायनिक प्रतिक्रियाओं** को गति देने में मदद करते हैं। ये कुछ पदार्थों का निर्माण करते हैं और दूसरों को तोड़ते हैं। सभी जीवित जीवों में एंजाइम पाए जाते हैं, और हमारा शरीर इन्हें स्वाभाविक रूप से बनाता है। इसके अलावा, **एंजाइम निर्मित** उत्पादों और खाद्य पदार्थों में भी उपस्थित होते हैं।

अध्ययन की मुख्य बातें:

1. **मैंगनीज-आधारित ऑक्सीडेज नैनोजाइम (MnN):**
   - यह अध्ययन बायोमेडिकल क्षेत्र में **MnN नैनोजाइम** की क्षमता को उजागर करता है। यह **कोलेजन** को सक्रिय कर सकता है और **टैनिक एसिड** का उपयोग करके इसके **टायरोसिन अवशेषों** को **क्रॉसलिंक** कर सकता है।
   - यह प्रक्रिया **कोलेजन की प्राकृतिक संरचना** को बनाए रखती है, जो चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है।
2. **धातु-कार्बनिक ढांचे (MOFs):**
   - दूसरे अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने दिखाया कि जैव अणु कैसे **धातु-कार्बनिक ढांचे** के भीतर एंजाइम जैसी साइटों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं।
   - इससे कम **साइड रिएक्टिविटी** वाले अधिक सटीक कृत्रिम एंजाइम बनाने की संभावनाएँ खुलती हैं।

मुख्य लाभ और प्रभाव:

3. **कोलेजन-आधारित बायोमटेरियल का विकास:**
   - नैनोजाइम्स का उपयोग करने से कोलेजन की संरचनात्मक अखंडता बनाए रखते हुए चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए **टिकाऊ और स्थिर बायोमटेरियल** बनाए जा सकते हैं।
   - इसके माध्यम से **घाव भरने और ऊतक इंजीनियरिंग** में सुधार हो सकता है।
- **उपयोग में आसानी:** शोध ने दिखाया है कि नैनोजाइम हल्की परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम **विषैले** होते हैं।

ये अध्ययन नैनोजाइम अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाते हैं, जो अगली पीढ़ी के कृत्रिम एंजाइमों के विकास में सहायक हो सकते हैं। **CSIR-CLRI** की टीम का कार्य बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में अधिक सुरक्षित और कुशल समाधान लाने की उम्मीद करता है।

नैनोजाइम के लाभ

- **उच्च सक्रियता और स्थिरता:** नैनोजाइम विभिन्न तापमान और पीएच स्थितियों पर अच्छी कार्यशीलता प्रदर्शित करते हैं, जो उन्हें अधिक लचीला बनाता है।
- **कम लागत:** इनका उत्पादन पारंपरिक एंजाइमों की तुलना में अधिक आर्थिक है।
- **स्थायित्व और दीर्घकालिक उपयोग:** नैनोजाइम का दीर्घकालिक स्थायित्व उन्हें औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है।
- **बड़े पैमाने पर उत्पादन में आसानी:** इन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादित करना सरल है, जिससे उनकी उपलब्धता बढ़ती है।
- **नियंत्रणीयता और बेहतर पुनर्प्राप्ति दर:** ये एंजाइम बेहतर नियंत्रणीयता और पुनर्प्राप्ति दर प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न चिकित्सा और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है।

अनुप्रयोग:

नैनोजाइम का उपयोग निम्नलिखित चिकित्सा क्षेत्रों में किया जा सकता है:

- **कैंसर और सूजन संबंधी बीमारियाँ**
- **न्यूरोडीजेनेरेटिव और न्यूरोलॉजिकल विकार**
- **जीवाणु, फंगल और वायरल संक्रमण**
- **घावों का उपचार**
- **रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रजातियों से जुड़े रोग**

क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल

हाल ही में, **क्वाड समूह** (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और जापान) ने **क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल** नामक एक अभूतपूर्व कैंसर पहल की शुरुआत की है।

पहल का उद्देश्य:

क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल का मुख्य उद्देश्य कैंसर की **रोकथाम, पता लगाने, उपचार और रोगियों तथा उनके परिवारों** पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए नवीन रणनीतियों को लागू करना है। इस पहल में निम्नलिखित प्रमुख तत्व शामिल हैं:

- ✓ **गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर की जांच का विस्तार:** यह पहल **गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर** की जांच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- ✓ **एचपीवी टीकाकरण में वृद्धि: मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी),** जो गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर का प्राथमिक कारण है, के विरुद्ध टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ✓ **रोगियों के उपचार पर ध्यान:** रोगियों के उपचार के लिए प्रभावी रणनीतियों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।

भारत का योगदान:

भारत इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है, निम्नलिखित तरीकों से योगदान कर रहा है:

- ☑ **डिजिटल स्वास्थ्य पहल:** भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की **डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल** में **10 मिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान दिया है। इसका उद्देश्य **कैंसर की जांच, देखभाल, और निरंतरता** के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- ☑ **एचपीवी नमूनाकरण किट और टीके:** भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों को **7.5 मिलियन डॉलर** मूल्य के एचपीवी **नमूनाकरण किट, जांच उपकरण, और गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के टीके** उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है।
- ☑ **एआई आधारित उपचार प्रोटोकॉल:** भारत इस बीमारी के लिए **एआई आधारित उपचार** प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है, जिससे उपचार प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- ☑ **रेडियोथेरेपी और क्षमता निर्माण:** भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में **रेडियोथेरेपी उपचार और कैंसर की रोकथाम** के लिए क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

निष्कर्ष:

इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य **गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर** की रोकथाम और पहचान के लिए स्थानीय प्रयासों को मजबूत करना है। साथ ही, समुदायों को शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए **किफायती, सुलभ उपकरणों से सशक्त** बनाना है। यह पहल पूरे क्षेत्र में रोग के बोझ को कम करने के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का भी समर्थन करेगी।

क्वाड समूह (Quad Group)

क्वाड समूह, जिसे औपचारिक रूप से **क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग** (Quadrilateral Security Dialogue) के रूप में जाना जाता है, एक रणनीतिक मंच है जिसमें चार प्रमुख देशों—**भारत, अमेरिका, जापान** और **ऑस्ट्रेलिया** का सम्मिलित रूप से सामरिक सहयोग और संवाद किया जाता है।

स्थापना:

- ☑ क्वाड की नींव 2007 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री **मनमोहन सिंह,** अमेरिका के राष्ट्रपति **जॉर्ज डब्ल्यू. बुश,** जापान के प्रधानमंत्री **शिंजो आबे**, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री **जॉन हॉवर्ड** द्वारा रखी गई थी।
- ☑ इसके बाद, यह मंच कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहा, लेकिन **2017** में फिर से सक्रिय हो गया।

उद्देश्य:

- **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना।**
- **आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करना।**
- **साझा मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना।**
- **आर्थिक समृद्धि और व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देना।**

मुख्य गतिविधियाँ:

- **सैन्य अभ्यास:** चारों देशों के बीच सामरिक सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, जैसे कि "**मलाबार**" naval exercise।
- **सूचना साझा करना:** सुरक्षा और सामरिक जानकारी का आदान-प्रदान करना।

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI)

डिजिटल तकनीकों और प्रणालियों में समाजों को गहराई से बदलने और **संयुक्त राष्ट्र के 2030** सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने की अनूठी संभावनाएं हैं।

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI):

- ☑ **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI)** एक विकसित हो रहा सिद्धांत है, जिसे साझा डिजिटल प्रणालियों के एक सेट के रूप में वर्णित किया गया है।
- ☑ ये प्रणालियाँ **सुरक्षित, विश्वसनीय, और इंटरऑपरेबल** होती हैं, और इन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा समावेशी पहुँच प्रदान करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए बनाया और उपयोग किया जाता है।
- ☑ DPI को लागू कानूनी ढांचों और नियमों द्वारा शासित किया जाता है, जो **विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा देते हैं।

DPI के विकास और कार्यान्वयन के सिद्धांत:

I. **समावेशिता:** अंतिम उपयोगकर्ताओं के **सशक्तिकरण और अंतिम मील** तक पहुँच को सक्षम करने के लिए आर्थिक, तकनीकी या सामाजिक बाधाओं को समाप्त करना।

II. **इंटरऑपरेबिलिटी:** खुला **मानक और विनिर्देशों** का उपयोग करना, जबकि सुरक्षा उपायों और कानूनी विचारों का ध्यान रखना।

III. **मॉड्यूलरिटी और एक्सटेंसिबिलिटी:** परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का उपयोग करना।

IV. **स्केलेबिलिटी:** लचीले डिज़ाइन का उपयोग करके अप्रत्याशित मांग में वृद्धि को समायोजित करना।

V. **सुरक्षा और गोपनीयता:** गोपनीयता, **डेटा सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित** करने के लिए प्रमुख तकनीकों को मूल डिजाइन में समाहित करना।

VI. **सहयोग:** सामुदायिक अभिनेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उपयोगकर्ता-केंद्रित समाधानों का विकास करना।

VII. **सार्वजनिक लाभ, विश्वास और पारदर्शिता के लिए शासन:** सार्वजनिक **लाभ, विश्वास और पारदर्शिता** को अधिकतम करना और डेटा सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन करना।

VIII. **शिकायत निवारण:** शिकायत निवारण के लिए सुलभ और पारदर्शी तंत्रों को परिभाषित करना।

IX. **सततता:** निर्बाध संचालन और **उपयोगकर्ता-केंद्रित सेवा वितरण** के लिए स्थिरता सुनिश्चित करना।

X. **मानवाधिकार:** मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला दृष्टिकोण अपनाना।

XI. **बौद्धिक संपदा संरक्षण:** प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के अधिकारधारकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना।

XII. **सतत विकास:** ऐसी प्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना जो **2030 सतत विकास एजेंडा** के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दें।

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने युवाओं में तंबाकू के सेवन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। यह परामर्श सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित किया गया है, जिसमें शिक्षण संस्थानों में **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के कानून (COTPA), 2003** के अनुसार **तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान (TOFEI)** नियमावली का पालन करने की अपील की गई है।

तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभाव:

- ✓ **बच्चों और किशोरों पर प्रभाव:** इस परामर्श में तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों पर जोर दिया गया है। **वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस) 2019** के अनुसार, भारत में **13 से 15 वर्ष की आयु के 8.5% स्कूली छात्र** विभिन्न रूपों में तंबाकू का सेवन करते हैं।
- ✓ **नई आदतें:** हर दिन **5,500** से अधिक बच्चे तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं। **55% लोग 20 वर्ष** की आयु से पहले ही इस आदत को अपना लेते हैं, जिससे वे अन्य नशीले पदार्थों की ओर बढ़ जाते हैं।

सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता:

इस परामर्श का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देना है। **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)** के तहत, सरकार ने नाबालिगों और युवाओं को **तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग से बचाने के लिए TOFEI** दिशानिर्देश जारी किए हैं।

TOFEI नियमावली के उद्देश्य:

TOFEI नियमावली शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू विरोधी उपायों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करेगी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- ☑ **जागरूकता बढ़ाना: छात्रों, शिक्षकों, श्रमिकों और अधिकारियों** में तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- ☑ **तंबाकू छोड़ने के तरीके:** तंबाकू छोड़ने के तरीकों की जानकारी प्रदान करना।
- ☑ **स्वस्थ वातावरण:** स्वस्थ और तंबाकू मुक्त वातावरण बनाना।
- ☑ **कानूनी प्रावधानों का कार्यान्वयन**: तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग के संबंध में कानूनी प्रावधानों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

सरकार का लक्ष्य:

यह परामर्श सभी स्तरों के **स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तंबाकू मुक्त** बनाने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगा। सरकार का लक्ष्य बच्चों में **तंबाकू के उपयोग को कम करना और भावी पीढ़ियों** को नशे की लत से बचाना है। शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर इन उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए काम करेंगे।

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)

आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) ने अपनी पांचवीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर, CDRI ने **2.5 मिलियन डॉलर** के कोष की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत सहित 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के शहरों की जलवायु लचीलापन को बढ़ाना है। यह कोष **शहरी अवसंरचना लचीलापन कार्यक्रम (UIRP)** के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा।

CDRI
Coalition for Disaster Resilient Infrastructure

CDRI के बारे में:

- ✓ **स्थापना:** CDRI का गठन भारत द्वारा **2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन** में किया गया था।
- ✓ **साझेदारी:** CDRI एक वैश्विक साझेदारी है, जिसमें **राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपरकारी विकास बैंक, और निजी क्षेत्र** शामिल हैं।
- ✓ **उद्देश्य:** सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए **जलवायु और आपदा जोखिमों** के प्रति बुनियादी ढांचे की लचीलापन को बढ़ावा देना।
- ✓ **सदस्य:** वर्तमान में, CDRI के **40 सदस्य देश और 7 संगठन** हैं, और इसका सचिवालय **नई दिल्ली, भारत** में स्थित है।
- ✓ **रिपोर्ट:** CDRI द्वारा **वैश्विक अवसंरचना लचीलापन रिपोर्ट** जारी की जाती है।

CDRI का महत्व:

- **वित्तपोषण:** CDRI के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वैश्विक वित्तपोषण और समन्वय तंत्र प्रदान करना।
- **तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण:** इसमें आपदा प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति सहायता, और नवाचार शामिल हैं।

CDRI द्वारा की गई पहल:

- ☑ **लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा (IRIS):** छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (SIDS) में **लचीले, टिकाऊ और समावेशी बुनियादी** ढांचे को बढ़ावा देना।
- ☑ **DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म:** ज्ञान का **आदान-प्रदान, शिक्षण, और सहयोगात्मक** मंच।
- ☑ **आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICDRI):** वार्षिक सम्मेलन जिसमें विशेषज्ञ और निर्णयकर्ता आपदा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा करते हैं।
- ☑ **अवसंरचना लचीलापन त्वरक निधि (IRAF):** UNDP और UNDRR के सहयोग से स्थापित, जो अवसंरचना प्रणालियों की आपदा लचीलापन को बढ़ावा देता है।

अन्य वैश्विक और भारत की पहलें:

- **वैश्विक: सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015-2030:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सदस्य देशों को ठोस कार्रवाई करने की सलाह देता है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009:** आपदा प्रतिरोधी भारत के निर्माण के लिए एक **समग्र और प्रौद्योगिकी** संचालित रणनीति।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** इसमें राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम – पावर (CSIRT-Power) सुविधा

सीएसआईआरटी-पावर का मुख्य लक्ष्य **भारतीय पावर सेक्टर** में साइबर सुरक्षा लचीलापन को एक समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से बढ़ाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ☑ **साइबर सुरक्षा घटनाओं की रोकथाम और प्रतिक्रिया:** यह बिजली क्षेत्र में **साइबर सुरक्षा घटनाओं** के लिए जिम्मेदार एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
- ☑ **शीघ्र और समन्वित प्रतिक्रिया:** साइबर खतरों के प्रति त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया प्रदान करना।
- ☑ **जानकारी एकत्रित करना और साझा करना:** बिजली क्षेत्र-विशिष्ट साइबर खतरों के बारे में जानकारी **एकत्रित** करना, उसका विश्लेषण करना और उसे साझा करना।
- ☑ **साइबर सुरक्षा जागरूकता:** जागरूकता बढ़ाने और समग्र साइबर सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए सक्रिय उपाय लागू करना।
- ☑ **सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना:** बिजली क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं, **मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs), और सुरक्षा नीतियों** को बढ़ावा देना।
- ☑ **विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करना:** बिजली क्षेत्र की उपयोगिताओं को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करना।
- ☑ **क्षमता निर्माण के उपाय: प्रशिक्षण, मानकों का विकास, घटना प्रतिक्रिया अभ्यास, और शैक्षणिक संस्थानों** व **उद्योग** के साथ सहयोग के माध्यम से साइबर सुरक्षा को बढ़ाना।
- ☑ **हितधारकों के बीच सहयोग:** जागरूकता बढ़ाने और सामूहिक साइबर सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष: सीएसआईआरटी-पावर भारतीय पावर सेक्टर में साइबर सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और संभावित खतरों के प्रति तैयार रहने में मदद करती है। इसके **माध्यम से, साइबर सुरक्षा जागरूकता और सहयोग** को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे **बिजली क्षेत्र** की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार होगा।

बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार (CSEAM) से देखना अपराध

हाल ही में, **सुप्रीम कोर्ट** ने **मद्रास उच्च न्यायालय** के 2024 के फैसले को पलट दिया, जिसमें **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** और **आईटी अधिनियम, 2000** के तहत संचारण के इरादे के बिना निजी डोमेन में **CSEAM** को रखने या देखने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु:

- ✓ **CSEAM का अपराधीकरण:** बिना किसी वास्तविक संचरण के **CSEAM** को अपने पास रखना एक प्रकार का अपूर्ण अपराध है, जिसके लिए **POCSO अधिनियम की धारा 15** के तहत दंडनीय प्रावधान है।
- ✓ **आईटी एक्ट की धारा 67बी:** बाल यौन शोषण के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट रूप से चित्रित करने वाली सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान है।
- ✓ **अपूर्ण/अविकसित अपराध:** किसी अन्य अपराध की तैयारी के लिए किए जाते हैं।

CSEAM का प्रमुख प्रभाव:

- **CSEAM** को देखने से व्यक्ति असंवेदनशील हो जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ती है और निर्माण एवं वितरण में वृद्धि होती है।
- इससे बच्चे के **भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कल्याण** पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बच्चे तीव्र सामाजिक **कलंक और अलगाव** का सामना करते हैं, और विश्वास संबंधी समस्याओं के कारण स्वस्थ रिश्ते बनाए रखना कठिन हो जाता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा संघ और न्यायालयों को दिए गए सुझाव:

- ☑ **POCSO में संशोधन:** बाल **पोर्नोग्राफी** के स्थान पर CSEAM को लाने के लिए।
- ☑ **विशेषज्ञ समिति का गठन:** स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करने हेतु।
- ☑ **सार्वजनिक अभियान:** CSEAM की वास्तविकताओं और इसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से इसकी व्यापकता को कम करने में मदद मिल सकती है।

POCSO अधिनियम, 2012

- **उद्देश्य:** बच्चों के **विरुद्ध यौन अपराधों** से निपटना।
- इसमें **बालक (18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति)** को परिभाषित किया गया है और निवारण के लिए **बाल अनुकूल प्रक्रियाओं** के साथ यौन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को रेखांकित किया गया है।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक

हाल ही में, **लेबनान** की राजधानी **बेरूत** और **दक्षिण** में **इजरायली** हमलों के बाद **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद** की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें कम से कम एक दर्जन लोग मारे गए।

लेबलान के बारे में :

- ✓ **स्थान:** लेबनान पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है।
- ✓ **राजधानी:** बेरूत
- ✓ **सीमाएँ:** पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर और पूर्व में सीरिया, और दक्षिण में इज़राइल।

इतिहास:

- ☑ लेबनान **उपजाऊ अर्द्धचन्द्र** नामक क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे **"सभ्यता का पालना"** कहा जाता है।
- ☑ **बायब्लोस**, दुनिया का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर, आधुनिक बेरूत से लगभग **30 किमी उत्तर** में है।
- ☑ लेबनान पर कई प्राचीन साम्राज्यों का शासन था, जिनमें **फोनीशियन, मिस्र, हित्ती, बेबीलोनियन, फारसी, ग्रीक**, और **रोमन** शामिल थे।
- ☑ लेबनान 400 से अधिक वर्षों (1516-1918) तक **ओटोमन साम्राज्य** का हिस्सा रहा।
- ☑ 1920 में, ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद, लेबनान पर **फ्रांस** का शासन हो गया, जिसने ग्रेटर लेबनान राज्य का निर्माण किया।
- ☑ लेबनान को 1943 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब फ्रांसीसी सत्ता भंग हो गई।

भूगोल:

- लेबनान एक संकीर्ण पट्टी वाला क्षेत्र है और विश्व के छोटे संप्रभु राज्यों में से एक है।
- **लेबनान पर्वत (9,800 फीट या 3,000 मीटर ऊँचे)** देश के मध्य में फैले हुए हैं।
- **एंटी-लेबनान पर्वत** सीरिया के साथ लेबनान की सीमा बनाते हैं।
- दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच **ऊँची, उपजाऊ बेका घाटी** स्थित है, जिसे **लिटानी नदी** से जल मिलता है, जो लेबनान की एकमात्र नदी है जो पूरे वर्ष बहती है।
- **जलवायु:** भूमध्यसागरीय जलवायु के कारण यहाँ हल्की, गीली सर्दियाँ और गर्म, शुष्क ग्रीष्मकाल होता है।

लेबनान की जटिल राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसे एक अद्वितीय देश बनाती है।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Subject

- HISTORY ,POLITY
- GEOGRAPHY
- ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

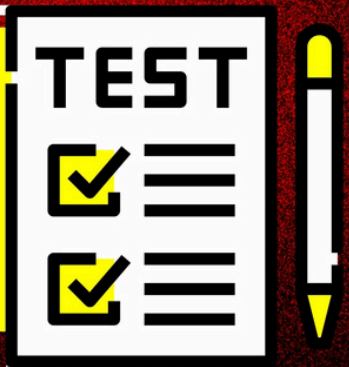

Only 99 Per Year

Buy Now